

Form no 111

फर्द अहकाम
(नियम 133)

1

अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़
कृष्णलाल बनाम अलाववश आदि
88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:- 408 / 2019

हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
<p>अभिभाषक श्री अनिलकुमार शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 53.88 का वाद-पत्र पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली 15.01.2020 दिनांक को पेश हो।</p> <p>15-1-20 वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संस्था वरु की ओर से श्री विनोद कुमार डूडी वकील द्वारा बकालतवाता पेश किया जाकर पत्रावली किया गया। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा भय फार्म न. उनके साथ सादय के रूप में पेश की जाकर जमावन्दी पेश की राजीनामा तस्दीक किया जाकर बाकिल पत्रावली किया गया। प्रकरण के कौर प्रतिवादी मदी होने से बहस सुनी गई बहस पर भणन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय हुक्म से लिखवाया जाकर सुले न्यायालय के सुनाये जाने के उपरान्त बाकिल पत्रावली किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। पत्रावली चखकर से कान की जाकर वाद तकमिल शिबिल द पत्र हो।</p> <p>(कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी</p>	<p>Amit g by me 15/1/20 (निर्देशिका 33)</p> <p>एकता कुमारी g by me 15-1-20 (निर्देशिका 33)</p>

